समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, भोपाल म.प्र.

पुर्नरीक्षण क्रमांक...........................

R-1549-PBR/13

सलीम खां आत्मज श्री हलीम खां
आयु लगभग 80 वर्ष,
निवासी ग्राम इनायतपुर, कोलार रोड़
तहसील हुजूर, जिला भोपाल .... आवेदक

बनाम

श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नि श्री आर.के.गुप्ता
आयु वयस्क, निवासी मानसरोवर कालोनी
बी–72, शाहपुरा, भोपाल .... अनावेदिका

पुर्नरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 256/अ–12/10–11 मे की गई सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 29.09.2011 जानकारी दिनांक 06.02.2013 के विरूद्व पुंर्नरीक्षण।

आवेदक की ओर से निम्नलिखित अनुसार अनुरोध है :-

संक्षिप्त तथ्य

आवेदक को न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर भोपाल (जिसे आगे अधिनस्थ न्यायालय लिखा गया है) का पेशी दिनांक 06.02.2013 को उपस्थिति हेतु सूचना पत्र प्राप्त हुआ। सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 06.02.2013 को आवेदक स्वयं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तो उसे ज्ञात हुआ कि उसके विरूद्व एक प्रकरण अंतर्गत धारा 250 भू–राजस्व संहिता 1959 प्रकरण क्रमांक 05/अ–70/12–13 का अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अनावेदिका द्वारा एक सीमांकन प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक 256/अ–12/10–11 प्रस्तुत किया था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई जिससे ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण मे राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन, न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया।

कथित सीमांकन करने के सम्बंध मे आवेदक को न तो कोई सूचना पत्र दिया और न ही आवेदक की उपस्थिति मे कथित सीमांकन किया गया। कथित सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1549-PBR/13 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-09-2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	